न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 16/2018/अपील

गीतादेवी पुत्री स्व0 सेवाराम पत्नी मन्नालाल उम्र 55 वर्ष जाति माली निवासिनी पुरोहितजी की ढाणी तहसील व जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1 सांवरमल पुत्र स्व. सेवाराम जाति माली निवासी ग्राम शाहपुरा तहसील धोद जिला सीकर
2 डूंगाराम (मृत)
2/1 रूकमणी देवी बेवा डूंगाराम निवासी ग्राम शाहपुरा तहसील धोद जिला सीकर
2/2 अशोक
2/3 विनोद
2/4 दोलत
} पुत्रगण स्व. डूंगाराम निवासीगण ग्राम शाहपुरा तहसील धोद जिला सीकर
2/5 भंवरी पुत्री डूंगाराम
2/6 लक्ष्मी पुत्री डूंगाराम
2/7 धन्नी उर्फ पुजा पुत्री डूंगाराम
3 शंकरलाल पुत्र सेवाराम जाती माली निवासी ग्राम शाहपुरा तहसील धोद जिला सीकर
4 गुलाबी पुत्री स्व. सेवाराम पत्नी जगदीश जाति माली निवासी रामलीला मंच के पिछे तहसील व जिला सीकर
5 मुन्नी देवी पुत्र स्व. सेवाराम पत्नी बाबुलाल जाति माली निवासी रामलीला मैदान के पिछे तहसील व जिला सीकर
6 तहसीलदार सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 106 दिनांक 06.06.1992 ग्राम शाहपुरा द्वारा न्यायालय तहसीलदार सीकर

वकील अपीलांट श्री सुरेश सैनी
वकील रेस्पोडेंट श्री ससीम अहमद गौरी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय **दिनांकः—27.06.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की पैत्रिक व संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 440 रकबा 1.53 है0, 441 रकबा 1.13 है0, 452 रकबा 2.54 है0, 454/893 रकबा 0.80 है0, 455 रकबा 2.26 है0, 456 रकबा 1.22 है0, 457 रकबा 0.76 है0, 457/894 रकबा 0.15 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 10.39 है0 तथा खसरा नम्बर 447 रकबा 0.74 है0, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.69 है0, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.63 है0, खसरा नम्बर 450 रकबा 2.13 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 4.83 है0 बारानी द्वितीय ग्राम शाहपुरा पटवार क्षेत्र शाहपुरा भू—अभिलेख सिहोट बड़ी तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित है। अपीलांट तथा

में से खसरा नम्बर 440, 441, 452, 454/893, 455, 456, 457, 457/894 कुल किता कुल रकबा 10.39 है0 में अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के पूर्वज सेवला का 1/4 हक, हिस्सा रहा है तथा खसरा नम्बर 447, 448, 449, 446 व 450 किता 5 कुल रकबा 4.83 है0 में अपीलांट एवं रेस्पो संख्या 1 ता 5 के पूर्वज सेवला का 1/8 हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त रहा है। सेवला की खातेदारी में अपीलांट तथा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 का बराबर हक व हिस्सा है। परंतु प्रशासक ग्राम पंचायत शाहपुरा द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 को गलत तथा अधुरा वारिस प्रमाण पत्र प्रदान किया, जिसमें अपीलांट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 को सेवला का वारिस नही बताया, जिसके आधार पर तहसीलदार सीकर ने रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के नाम से विरासत का नामान्तकरण संख्या 106 दिनांक 06.06.92 को गलत रूप से भरा गया है। विवादित आराजीयात का नामांतरकरण तहसीलदार सीकर ने रेस्पोन्डेन्टस संख्या 1 ता 3 व अपीलांट की माता साहनी बेवा सेवला के नाम भर दिया गया, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। वर्तमान में सोहनी बेवा सेवला की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए वर्णित आराजीयात में अपीलांट तथा संख्या 1लगायात 5 का बराबर बराबर 1/6, 1/6 हक व हिस्सा है। अपीलांट व रेस्पो. का सजरा खानदान निम्न प्रकार से हैः—

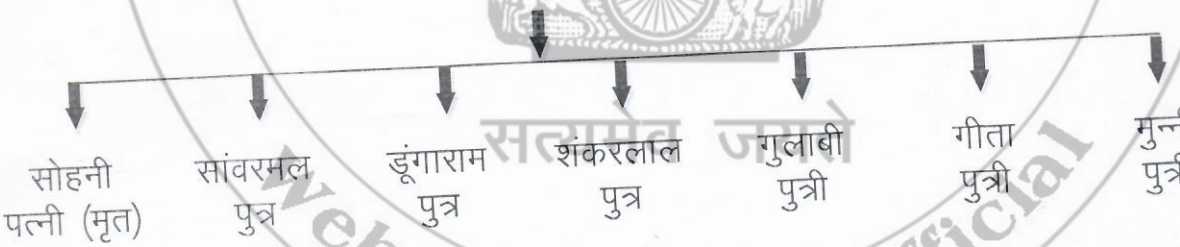

मृतक सेवला की स्वीकृत रूप से अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 4 व 5 पुत्रियां है। विधि अनुसार अपने पिता की संपति में पुत्रियों का भी बराबर हक व हिस्सा रहता है। ग्राम पंचायत ने बसाजिस रेस्पो0 संख्या 2 ता 3 से मिलकर अवैध वारिस प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें सेवला के वारिस केवल रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 को ही बताया है, जो गलत तथा विधि विरूद्ध है। अपीलाधीन नामांतरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमियों के कब्जे, काश्त की जांच नहीं की गयी एवं अपीलांट को सूचना व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट पर्दानशीन घरेलू अशिक्षित कानून कायदों से अनभिज्ञ महिला है। अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 4 ता 5 के हित समान है, परन्तु वह अपील दायरी में अपीलांट के साथ शामिल नहीं हुआ, इसलिए उसे रेस्पो0 4 व 5 के रूप में औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 106 दिनांक 06.06.1992 बाबत ग्राम शाहपुरा को निरस्त फरमाया जावे। तथा मृतक सेवला की खातेदारी की भूमियों में अपीलांट तथा रेस्पो. संख्या 1 ता 5 का बराबर—बराबर हक व हिस्से की खातेदारी का अंकन किया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार सेवला की मृत्यु होने पर विरासत से मृतक के वारिसान डूंगाराम, सांवरमल, शंकरलाल पि0 सेवला, सोहनी बेवा सेवला के नाम दिनांक 06.06.1992 को तस्दीक किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में पिता का नाम सेवाराम अंकित कर रखा है। अपीलाधीन नामान्तकरण एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में सेवला/सेवाराम में भिन्नता के सम्बंध में अपील मेंमो में किसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये है। अपीलाधीन नामान्तकरण सन् 1992 में तस्दीक किया हुआ है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलाधीन नामान्तकरण की अपील लगभग 26 वर्ष पश्चात् करने के सम्बंध में कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण के विरूद्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलांट के क्या हित निहित है, इस सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट मृतक खातेदार सेवला की पुत्री होने के सम्बंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा केवल मात्र कथन किया है, बल्कि इस सम्बंध में पुष्टि हेतु कोई विश्वस्त साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये, जिनसे इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि अपीलांट स्व0 सेवला/सेवाराम की पुत्री है। अपीलांट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों और चाहे गये अनुतोष की पुष्टि हेतु कोई विश्वस्त साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये है। अपीलांट को विवादग्रस्त आराजियात में अपने हक अधिकारें हेतु चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण के विरूद्व लगभग 26 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत करने की बजाय सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था। विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में विवाद का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा विस्तृत साक्ष्यों के आधार पर व्याख्या करके ही किया जा सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण संख्या 106 दिनांक 06.06.1992 में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता उचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/6/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official